भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 507
गुरुवार, 6 फरवरी, 2025 (17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सीप्लेन परिचालन के लिए दिशानिर्देश

507. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हाल ही में शुरू किए गए सीप्लेन परिचालन के लिए दिशा-निर्देशों के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उड़ान योजना के 5.4 संस्करण का उद्देश्य किस प्रकार देश में संपर्क को बढ़ाना है, विशेष रूप से उन मार्गों के संबंध में जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था;

(ग) नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सीप्लेन परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं; और

(घ) उक्त उपाय जल विमानपत्तनों के विकास से किस प्रकार संबंधित हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) भारत में सीप्लेन परिचालन के लिए दिनांक 22.08.2024 को जारी किए गए एनएसओपी दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य एनएसओपी ढांचे का उपयोग करने वाले क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) सीप्लेन मार्गों को चालू करने के लिए वाटर एयरोड्रोम के विकास में होने वाली देरी को दूर करना है, जो पहले आरसीएस हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए सफल साबित हुआ हैं। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में आम जनता को उड़ान योजना से लाभ उठाने में सक्षम बनाते हुए निर्बाध और सुरक्षित सीप्लेन परिचालन प्रदान करना है।

(ख) उड़ान योजना 5.4 में पहले से निर्धारित उन मार्गों की फिर से बोली लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिन्हें परिचालन चुनौतियों या अपर्याप्त यात्री मांग के कारण रद्द कर दिया गया था।

(ग) सीप्लेन परिचालनों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों में, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो सुरक्षा टेम्पलेट्स और विमान-अपहरणविरोधी मानदंडों के अलावा में डीजीसीए द्वारा नियमित निरीक्षण और वाटर एयरोड्रोम सहित सीप्लेन प्रचालक द्वारा सुरक्षित परिचालन के लिए निर्धारित डीजीसीए विनियमों का अनुपालन शामिल है।

(घ) दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और वाटर एयरोड्रोम परिचालकों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है, जिसमें आवश्यक अनुमति प्राप्त करना, सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना और परिचालन का प्रबंधन करना शामिल है। संशोधित विनियम वाटर एयरोड्रोम को प्रचालित करने के लिए न्यूनतम सुरक्षा अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं।

इन उपायों को एकीकृत करके, दिशा–निर्देशों का उद्देश्य सीप्लेन परिचालन की शुरुआत में तेजी लाना है, ताकि हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और कुशल बनाया जा सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक हवाईअड्डे के बुनियादी ढांचे को विकसित करना एक चुनौती है।

******